मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 11.02.2014 को उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :--

1. मुख्य सचिव, झारखण्ड।
2. श्रीमती हिमानी पाण्डे, सचिव उद्योग, झारखण्ड, राँची।
3. श्री धीरेन्द्र कुमार, विशेष सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची।
4. श्री बालेन्दु भूषण आनन्दमूर्ति, अपर सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची।

Sl. No.	Issues raised on meeting held on 11-02-2014	Compliance by the Department of Industries	Instruction given by Chief Secretary on 11-02-2014
1.	Department must complete need based re-organisation of the department and frame service rule for all the different cadres of employees /officer by 31st July 2013. **(Industries Department)**	**झारखंड रेशम अधीनस्थ सेवा संवर्ग नियमावली एवं झारखण्ड राज्य हस्तशिल्प अधिनस्थ तकनीकी संवर्ग नियमावली**--नियमावली में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कीटपालकों को अधिदर्शक एवं अधिदर्शक को सहायक अधीक्षक, सहायक अधीक्षक को अग्र परियोजना पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति दी गई और नई नियुक्ति के लिए 110 कीटपालक एवं 32 सहायक अधीक्षक के खाली पदों के लिए प्रस्ताव कार्मिक, प्रशासनिक, सुधार एवं राजभाषा विभाग एवं राज्य कर्मचारी आयोग, झारखंड, रॉची को भेज दी गई है। **झारखंड हस्तकरघा प्रक्षेत्र अधीनस्थ तकनीकी संवर्ग नियमावली**--हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प विभाग में प्रोन्नति एवं नई नियुक्ति के लिए कार्रवाई जा रही है। नियुक्ति प्रकिया 15 दिनों में पूरी कर दी जाएगी। **उद्योग विस्तार पदाधिकारी सम्वर्ग नियमावली**-- कार्मिक, प्रशासनिक, सुधार एवं राजभाषा विभाग, झारखंड, रॉची से सहमति प्राप्त करने के पश्चात् वित्त विभाग को उक्त नियमावली पर सहमति हेतु संचिका पृष्ठांकित की गयी। वित्त विभाग द्वारा उक्त नियमावली में कतिपय पृच्छाएँ की गई है, जिसके आलोक में पुनः कार्मिक, प्रशासनिक, सुधार एवं राजभाषा विभाग से मार्गदर्शन/मंतव्य की मॉग की गई है। **झारखंड उद्योग सेवा संवर्ग नियमावली**-- कार्मिक, प्रशासनिक, सुधार एवं राजभाषा विभाग के सहमति के उपरान्त संचिका वित्त विभाग को पृष्टांकित की गई थी, जिसपर वित विभाग ने पृच्छा की जिसका अनुपालन करते हुए वित्त विभाग को भेज दी गयी है।	उपरोक्त सभी पर मुख्य सचिव द्वारा शीघ्र कार्रवाई करते हुए अधियाचना झारखण्ड लोक सेवा आयोग को भेजने का निदेश दिया गया ।

2.	Department must bring draft of Jharkhand purchase policy by May 2013 and notify it before 30th June 2013. **(Industries Department)**	विकास आयुक्त, झारखंड के समक्ष अनुमोदन हेतु Jharkhand Procurement Policy-2013 प्रस्तुत किया गया है।	निदेश दिया गया कि Jharkhand Procurement Policy-2013 का प्रस्तावित प्रारूप उनके समक्ष प्रस्तुतीकरण किया जाय।
3	Post Cocoon activity and integrated silk production upto product and marketing level for higher yields, must be put into the action in different places with help of DCs, RD and Welfare department etc. **(Director Handloom / Sericulture/DCs/Welfare Department/RD)**	तसर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए Draft Vision Document तैयार किया जा चुका है, जिसके आधार पर ग्रामीण विकास विभाग ने मंत्रिपरिषद को संलेख प्रस्तुत किया था, जिसपर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है।	निदेश दिया गया कि योजना की जो Operational guidelines बनेगी, की तैयारी में निदेशक, रेशम भी अपना- सुझाव देंगे ताकी इस Convergance से सेरीकल्चर को विशेष बढ़ावा मिले।
4	Activities pertaining to Mega Handloom Cluster, Silk Park at Ranchi and Weaver service centre (WSC) at Ranchi, must be put into the action with specific timeline. **(Director Handloom/ Sericulture)**	मेगा हैण्लूम कलस्टर, गोड्डा पर भारत सरकार की सहमति प्राप्त हो चुकी है। राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करने के लिए संचिका प्राधिकृत समिति को भेजी गई है।	Mega Handloom Cluster के संबंध में विकास आयुक्त से शीघ्र बैठक हेतु समय प्राप्त करने का निदेश दिया गया।
5	Activities of sericulture, handloom and handicraft must be organised in the group approach and cluster activities. The activities must be started under work shed. The location of workshed be identified. The new construction where required be done by department of Industry/DHS/ DC and other resources, besides existing building of the Government. **(DHS/DCs/Welfare Department /RD)**	उद्योग विभाग ने विभिन्न जिला प्रशासन से सम्पर्क कर वर्कशेड के लिए भूमि प्राप्त कर ली गई है, जिसपर वर्कशेड का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त उपायुक्त, देवघर ने 4 वर्कशेड बनाने का आदेश दिया है, निर्माण कार्य प्रगति पर है। उपायुक्त, दुमका ने एक बड़ा भवन विभाग को हस्तान्तरित किया है, जिसमें हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादन केन्द्र स्थापित किया जायेगा। उपायुक्त, हजारीबाग ने 3 वर्कशेड बना दिये हैं।	
6	I.T. Tower RIADA and other sanctioned schemes of export promotion at RIADA and AIADA must be speeded up with detailed timeline. It must be monitored by the	RIADA के द्वारा IT Tower Consultant की नियुक्ति के लिए दो बार निविदा निकाला गया। प्रथम बार में दो निविदा आवेदन प्राप्त हुआ तथा दूसरी बार एक निविदा आवेदन प्राप्त हुआ।	आई0टी0 टावर के निर्माण के संबंध में निविदा पर रियाडा शीघ्र निर्णय ले।

	concern MDs. **(Department of Industries/RIADA/AIADA)**	आयडा क्षेत्र में STPI बनाने के लिए जमीन हस्तान्तरित की जा चुकी है। STPI में निर्माण हेतु कार्रवाई सूचना एवं प्रौद्यिगिकी विभाग कर रहा है।	
7	Export Potential from state and its promotion may be worked out in next few months and meetings with identified exporters must be ensured. **(Department of Industries/ Industries Association/FIEO)**	दिनांक–24.02.2014 को प्रस्तुतीकरण निर्धारित है।	
8	Big ticket investor who are in position to start the ground breaking and activity on ground like JSW, Bhusan Steel Plant and JSPL etc. The land and all other issues be resolved on priority to facilitate early start of work. Required coordination on different level be done if required a meeting may be planed with the concerned Dy Commissioners with Chief Secretary. **(Department of Industries/ DCs/Other Department)**	दिनांक–06.01.2014 को मुख्य सचिव स्तर पर समीक्षा हुई है। उक्त के अनुपालन में दिनांक–28.01.2014 को विभागीय स्तर पर भी समीक्षा की गयी है।	
9	Issue regarding ATBCL, Eastern Corridor and other Infrastructure Project under PPP mode must be Speeded up.	ATBCL एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं का PPP mode पर कार्य करने के लिए प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई है जिसमें Eastern Corridor पर पृच्छाएं टाटा स्टील से की गयी है।	Eastern Corridor के मामले में टाटा स्टील से मंतव्य प्राप्त कर उप समिति के समक्ष प्रस्तु करने का निदेश दिया गया।
10	The department on Industries on the activities of IT/ITes , IT SEZ, IT Park and STPIs must be co-ordinated with the department of IT. The joint effort must bring better result. **(Department of Industries/ Tata Steel)**	Entrepreneurs Housing Colony की भूमि संबंधी पूर्ण विवरणी तैयार की जा रही है।	आयडा से पूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर आई0टी0 पार्क के लिए कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
11	All matters pertaining to JIP 2001 must be disposed of before 30th June -2013. **(Department of Industries)**	झारखण्ड औद्योगिक नीति–2001 के अन्तर्गत वाणिज्यिक उत्पादन के पुर्ननिर्धारण के कारण कुछ मामले लंबित हैं।	लंबित मामलों को इस माह में निष्पादित करने का निदेश दिया गया।

12	Matters related to the service matter of employees must be disposed in time bound manner. The responsibility of the concern GMDIC/ AD Sericulture/ SO/US/DS/DD must be fixed in case of any delay. **(Department of Industries)**	नये स्थापित अग्र परियोजना केन्द्रों में 12 Computer Operator की आवश्यकता है, जिसके लिए जैप आई0 टी0 को प्रस्ताव भेजा गया है।	जैप आई0टी0 से समन्वय स्थापित कर प्रस्ताव को कार्यान्वित कराने का निदेश दिया गया।
13	The matter pertaining to court cases must be attended promptly. The responsibility of the concern SO/ US/ DC/DD must be fixed in case of any delay. **(Department of Industries)**	विभागीय वादों के ससमय कार्रवाई हेतु सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया है। साथ ही प्रत्येक माह विधि विभाग को अद्यतन सूचना विभागीय नोडल पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है। कुल WP वादों की सं0– 153 दायर प्रतिशपथ पत्रों की सं0– 92 निष्पादित WP वादों की सं0– 34 प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु लंबित वादों की सं0 – 27 कुल अवमाननावाद वादों की सं0– 12 दायर कारण पृच्छा – 11 लंबित अवमाननावाद वादों की सं0– 01	सभी लंबित वादों में ससमय प्रतिशपथ पत्र दायर करना सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
14	All necessary delegation of power to Panchayat etc must be completed before 31 May 2013. **(Department of Industries)**	विभागीय संकल्प संख्या 1307 दिनांक 11.06.2013 द्वारा पंचायतों को उद्योग विभाग से संबंधित कार्यों के संबंध में शक्तियों का प्रत्यायोजन निर्गत कर दिया गया है।	
15	Necessary notification under JIP 2012 must be completed **(Department of Industries)**	झारखंड औद्योगिक नीति–2012 के अन्तर्गत नियमावली बनाने की कार्रवाई अंतिम चरण में है।	झारखण्ड औद्योगिक नीति–2012 अन्तर्गत नियमावली को शीघ्र निर्गत करने की कार्रवाई का निदेश दिया गया।
16	Setting up of super speciality Hospital.	Super Speciality Hospital निर्माण के लिए निविदा प्रकाशित कर दी गई है तथा निविदा की अंतिम तिथि 10.02.2014 है।	रियाडा को ससमय निविदा का निष्पादन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

अनुमोदित ।
मुख्य सचिव,
झारखण्ड, राँची।

Govt. of Jharkhand
Department of Industries

Memo No. 229 /Ranchi, dated 20-02-2014

Copy to:Principal Secretary, Road Construction Department/Revenue and Land Reform Dept./Forest Department/Rural Development Department/Personal,m Administrative Reform and Rajbhasha Dept/Information Technology Deptt./Secretary, Welfare Department/Planning and Development, Jharkhand Ranchi/MGNREGA Commissioner, Jharkhand, Ranchi/MD,GRDA, Ranchi/Special Secretary-cum-Director, Handloom and Sericulture/Director Industries, Jharkhand, Ranchi/Under Secretary Establishment, Directorate of Industries/Under Secretary, Establishment,Directorate of Handloom, Handicraft and Sericulture/Principapal Private Secretary to Secretary, Industries Dept./M.D. AIADA,RIADA/ Principal, Govt. Tool Room and Training Centre, Ranchi&Dumka for information and necessary action.

Secretary
Department of Industries

Memo No. 229 /Ranchi, dated 20-02-2014

Copy to:M.D.,JINFRA/General Manager, JIIDCO/State Coordinator, FIEO, Namkum, Ranchi for information and necessary action.

Secretary
Department of Industries

Memo No. 229 /Ranchi, dated 20-02-2014

Copy to:OSD, Chief Secretary office, Ranchi for information.

Secretary,
Department of Industries